संख्या-82/2017/930/41-17-130 सा0/2013 टी0सी0

प्रेषक,

बच्चू लाल,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

पर्यटन, उ0प्र0

लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ दिनांक 25 मार्च, 2018**

विषय- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में रामघाट के विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण की योजना हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-7807/6-1-1(410)/2013 दिनांक 08 मार्च, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में रामघाट के विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण की योजना का कार्य कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग द्वारा कराये जाने हेतु रू0 1588.01 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ अट्ठासी लाख एक हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 487.32 लाख (रूपये चार करोड सत्तासी लाख बत्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 71/2288/41-2013-130 सा0/13 टीसी, दिनांक 11-11-2014 द्वारा, वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या-130/2015/3160/41-15-130 सा0/2015, दिनांक 09 सितम्बर, 2015 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड मात्र), वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या-87/2016/1136/41-15-130 सा0/2015 दिनांक 25 जुलाई, 2016 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 300.00 लाख (रूपये तीन करोड मात्र) एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या-40/2017/1582/41-17-130 सा0/2013, दिनांक 31.08.2017 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गयी है। इस प्रकार उपर्युक्त परियोजना की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रशासकीय स्वीकृति रू0 1588.01 लाख के सापेक्ष अब तक रू0 1487.32 लाख की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त की जा चुकी है।

3. उपर्युक्त के अनुक्रम में उक्त योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में पांचवी/अन्तिम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही उक्त अवशेष धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नही होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(2) स्वीकृत की जा रही उक्त अवशेष धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराये जाने के पूर्व यह भलीभांति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त योजना हेतु पूर्व में प्रदान की गयी धनराशियों के सापेक्ष कराये गये कार्य स्वीकृत योजना के निर्धारित स्वरूप/योजना के अनुसार कराया गया है तथा उक्त कार्य में निर्धारित मानदण्डों/गुणवत्ता पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियान्ता सिंचाई विभाग से प्राप्त कर उसकी पुष्टि सक्षम स्तर से सुनिश्चित करा ली जायेगी।

(3) योजना के कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण कार्य में पर्यावरणीय मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि व्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(8) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि उक्त निर्माण कार्य के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था रहे।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय अवचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का नियमित मिलान महालेखाकार इलाहाबाद से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(10) योजना का अनुश्रवण शासन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(11) प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-13-जनपद चित्रकूट की योजनाएं-1303-चित्रकूट में रामघाट का सौन्दर्यीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं08/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(बच्चू लाल)
उप सचिव।

संख्या-82/2017/930(1)/41-17-130 सा0/2013 टी0सी0 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मण्डलायुक्त झांसी/जिलाधिकारी, चित्रकूट।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, चित्रकूट।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
8- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, झांसी।
9- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(बच्चू लाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।